

**स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश**

संख्या- 6/एफ1-304/18 श्र.सं.- 91

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, पटना/ मुजफ्फरपुर।
सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर ।
श्रम अधीक्षक, भोजपुर(आरा)-01/ किशनगंज-01।

पटना, दिनांक:- 20-9-18

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध
-मांग सं.-26-उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का
सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011010108) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3386 दिनांक-14.05.18 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में 31 मार्च, 2019 तक व्यय के निमित्त श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत 13 कार्यालयी व्यय के अन्तर्गत विषयशीर्ष-0108.13.01 कार्यालय व्यय से GeM Portal के निर्धारित दर पर/बेल्ड्रॉन के माध्यम से /बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में अर्न्तनिहित नियमों के आलोक में क्रय हेतु निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	13 कार्यालयी व्यय		अभ्युक्ति
		0108.13.01 कार्यालय व्यय		
1	उप श्रमायुक्त, पटना	195000		उप श्रमायुक्त, पटना कार्यालय हेतु 02 एवं ALC, पटना हेतु 01 कम्प्यूटर सेट के लिए
2	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	65000		01 कम्प्यूटर सेट के लिए
3	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर	65000		01 कम्प्यूटर सेट के लिए
4	श्रम अधीक्षक, भोजपुर(आरा)	65000		01 कम्प्यूटर सेट के लिए
3	उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना	119000		उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना को 01 कम्प्यूटर हेतु एवं कारखाना निरीक्षक, रसायन हेतु 01 कम्प्यूटर सेट के लिए
कुल योग		509000		

कुल आवंटित राशि ₹ 5,09,000/- (₹ पाँच लाख नौ हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि0 दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि से सभी प्रकार की विपत्रों की जाँच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

6. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।

7. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

विश्वासभाजन,
20/09/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-304/18 श्र0सं0:-

91

पटना, दिनांक

20-9-18

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/09/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-304/18 श्र0सं0:-

91

पटना, दिनांक

20-9-18

*स्पीड
पोस्ट

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु /बजट शाखा, प्रशाखा-06(श्रम पक्ष) /व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/09/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।